

राजस्थान सरकार  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 2(10)खा.वि./स्था.प्र./2024

जयपुर, दिनांक 14/03/2024

## आदेश

विभाग के निम्नलिखित जिला रसद अधिकारी का पदस्थापन राज्यहित में प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं	नाम / पदनाम (सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री संजय झाला जिला रसद अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय खाद्य विभाग, जयपुर	उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(~~मास्कर ए सांवत~~)  
प्रमुख शासन सचिव  
खाद्य एवं उ. मा.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री (खाद्य), नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त अधिकारीगण खाद्य विभाग
- उप निदेशक, उपभोक्त मामले विभाग, जयपुर।
- एनालिसट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं ई-मेल करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- श्री संजय झाला, जिला रसद अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे तुरन्त प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- निजी पत्रावली श्री.....
- रक्षित पत्रावली।

14/3/24  
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

अति. निदेशक उ. मा. वि.